2019 का विधेयक संख्यांक 370

[दि सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019

नागरिकता अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1955 का 57

"परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रुप में नहीं माना जाएगा :"। 1920 का 34 1946 का 31

नई धारा 6ख का अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में विशेष उपबंध ।

'6ख. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस निमित्त किए गए आवेदन पर, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी ।

(2) धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण की अर्हताओं को पूर्ण करने के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को जिसे उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा ।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित कोई कार्यवाहियाँ, उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर उपशमन की जाएंगी:

परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा, यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अर्हित पाया जाता है :

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर, उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था ।

(4) इस धारा की कोई बात, संविधान की छठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के अधीन अधिसूचित "आंतरिक रेखा" के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी ।'। 1873 का विनियम 5

4. मूल अधिनियम की धारा 7घ में,— धारा 7घ का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घक) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के उपबंधों का अतिक्रमण किया है ; या" ;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 के खंड (2) में, खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 18 का संशोधन ।

"(ङङझ) धारा 6 ख की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की शर्तें, निर्बंधन और रीति ;"

6. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— तृतीय अनुसूची का संशोधन ।

'परन्तु अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में की किसी सरकार की सेवा की कुल अवधि को "ग्यारह वर्ष से कम नहीं" के स्थान पर "पांच वर्ष से कम नहीं" के रूप में पढ़ा जाएगा ।'।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57), भारतीय नागरिकता के अर्जन और अवधारण का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. यह ऐतिहासिक सत्य है कि जनसंख्या का सीमापार प्रवजन भारत के राज्यक्षेत्रों और वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में समाविष्ट क्षेत्रों के बीच निरंतर होता रहा है । वर्ष 1947 में भारत का विभाजन होने के समय विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले अविभाजित भारत के लाखों नागरिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के उक्त क्षेत्रों में ठहरे हुए थे । पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संविधान में विनिर्दिष्ट राज्य धर्म का उपबंध किया गया है । परिणामस्वरूप, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के बहुत से व्यक्तियों ने इन देशों में धर्म के आधार पर अत्याचारों का सामना किया है । उनमें से कुछ व्यक्तियों को उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन में ऐसे अत्याचार के बारे में भय भी है कि वहां उनके धर्म का आचरण करने, उसे मानने या प्रचार करने का अधिकार अवरुद्ध और प्रतिबंधित हो गया है । बहुत से ऐसे व्यक्ति भारत में शरण लेने के लिए घुसे और भारत में ठहरते रहे हैं, भले ही उनके यात्रा दस्तावेज समाप्त हो गए हों या उनके पास अपूर्ण दस्तावेज हों या कोई दस्तावेज न भी हों ।

3. अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के ऐसे प्रवासी, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश कर गए थे या यदि उनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, तो उन्हें अवैध प्रवासी के रूप में समझा जाता है और वे अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र हैं ।

4. केंद्रीय सरकार ने, उक्त प्रवासियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 तथा अधिसूचना तारीख 07.09.2015 और तारीख 18.07.2016 के द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों द्वारा प्रतिकूल दांडिक परिणामों से छूट दे दी थी । तत्पश्चात् केंद्रीय सरकार ने, आदेश तारीख 08.01.2016 तथा 14.09.2016 द्वारा उन्हें भारत में ठहरने के लिए दीर्घकालिक वीसा के लिए भी पात्र बनाया था । अब, यह प्रस्ताव है कि उक्त प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाया जाए ।

5. ऐसे अवैध प्रवासियों को, जिन्होंने 31.12.2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, अपनी नागरिकता संबंधी विषयों को शासित करने के लिए एक विशेष शासन व्यवस्था की आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा । क्योंकि उनमें से बहुत से प्रवासी भारत में बहुत पहले प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, यदि वे धारा 5 में विनिर्दिष्ट भारतीय नागरिकता की शर्तों या अधिनियम की तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण के लिए अर्हताओं को पूरा करते हैं ।

6. विधेयक, पूर्वोक्त हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासी को उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए भी है, जिससे प्रवजन या नागरिकता की

उनकी प्रास्थिति के संबंध उनके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से वर्जित न करे । अधिनियम के अधीन विहित किए जाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरुद्ध अवैध प्रवासी के रूप में उनकी प्रास्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय के बारे में आरंभ की गई किन्हीं कार्यवाहियों पर विचार नहीं करेगा, यदि वे नागरिकता प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।

7. भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति, जिनमें पूर्वोक्त देशों से उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी हैं, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते रहे हैं, किंतु वे अपने भारतीय मूल का सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं । इसलिए, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की तीसरी अनुसूची के निबंधनानुसार देशीकरण के लिए बारह वर्ष की निवास की अवधि को एक अर्हता के रूप में विहित करती है, के अधीन देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए विवश किया जाता है । यह उनको ऐसे बहुत से अवसरों और लाभों से वंचित करता है, जो भारत के नागरिकों को ही प्रोद्भूत हो सकेंगे, भले ही उनकी भारत में स्थायी रूप से ठहरने की संभावना हो । अतः, अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पूर्वोक्त देशों से उक्त समुदायों के आवेदकों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया जा सके, यदि वे विद्यमान ग्यारह वर्षों के स्थान पर पांच वर्षों के लिए अपनी निवास की अवधि को साबित कर सके ।

8. वर्तमान में, ऐसे भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हैं, के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 7घ में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है । उक्त धारा 7घ का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने की दशा में, भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

9. क्योंकि, वर्तमान में, धारा 7घ के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्ड के रद्दकरण से पूर्व भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, इसलिए भारत के विदेशी नागरिक कार्ड के रद्दकरण से पूर्व भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

10. विधेयक, संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की देशज जनसंख्या को प्रदान की गई सांविधानिक गारंटी की संरक्षा करने के लिए और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1973 की "आंतरिक रेखा" प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण के लिए भी है ।

11. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 दिसंबर, 2019

अमित शाह

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (2) में एक नया खंड (ङङझ) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 6ख की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की शर्तों, निर्बंधनों और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—4108LS(CRC)—05.12.2019.